संख्या-31/2024/।/529436/2024/005-71-2002-002-7-2023

प्रेषक,

ज्ञानेन्द्र कुमार शुक्ल,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

कुलसचिव,
किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उ0प्र0
लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक 27 मार्च, 2024

विषयः-वित्तीय वर्ष 2023-24 में पुनर्विनियोग के माध्यम से वेतन मद में अनुदान स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या-एमई/बजट/2023-24/1037, दिनांक 15.03.2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत राजस्व पक्ष में किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ हेतु मानक मद-31-सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन) मद में पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि रू0 2000.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ हेतु शासनादेश संख्या-A071-20232024-71-2002-002-7-2023-1, दिनांक 26 मार्च, 2024 (बी0एम0-9 प्रपत्र संलग्न) के अनुसार संस्थान में विद्यमान देयता के भुगतान हेतु मानक मद-31-सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन) मद में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत राजस्व पक्ष में पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि रू0 2000.00 लाख (रूपये बीस करोड़ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत करते हुये आपके निवर्तन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैः-

नियम व शर्तें / प्रतिबन्धों

(1) स्वीकृत धनराशि का उपयोग निर्धारित मदों में सुसंगत नियमों के अधीन किया जाएगा।
(2) स्वीकृत धनराशि का आहरण वास्तविक आवश्यकतानुसार एवं व्यय नियमानुसार किया जायेगा तथा इसका उपयोग उसी मद में किया जायेगा, जिसके लिये यह धनराशि स्वीकृत की जा रही है। किसी अन्य मद में व्यय वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।
(3) धनराशि का आहरण वास्तविक आवश्यकतानुसार किया जाएगा तथा इसे आहरित कर किसी बैंक/डाकघर में नहीं रखा जाएगा।
(4) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023 - 231/2023, दिनांक 17.03.2023 एवं यथासंशोधित कार्यालय-ज्ञाप संख्या-10/2023/बी-1-602/दस-2023-231/2023, दिनांक 19.09.2023 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन विश्व0विद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(5) स्वीकृत धनराशि का व्यय विवरण निर्धारित प्रारूप पर शासन को उपलब्ध कराया जायेगा, इसके अभाव में अनुदान की आगामी किश्त निर्गत किया जाना संभव नहीं होगा।

(6) जिस मद से पुनर्विनियोग प्रस्तावित किया गया है, उस मद में अतिरिक्त धनराशि की माँग संस्थान द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 में नहीं की जाएगी।

(7) स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी मद में किया जाएगा, जिसके लिए स्वीकृति दी गई है।

(8) स्वीकृत धनराशि का पूर्ण उपभोग वर्तमान वित्तीय वर्ष 2023-24 में दिनांक 31 मार्च, 2024 तक कर लिया जायेगा।

(9) धनराशि को कोषागार से संस्थान के वित्त नियंत्रक द्वारा आहरित किया जायेगा तथा बिलों पर महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त किये जायेंगे।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 20,00,00,000 (रुपये बीस करोड़ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 031 लेखा शीर्षक 2210051050366 किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश मानक मद 31 सहायता अनुदान-समान्य (वेतन)" के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक- 17-मार्च, 2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(ज्ञानेन्द्र कुमार शुक्ल)
अनुसचिव।

संख्या-31/2024/।/529436/2024/005-71-2002-002-7-2023, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ/प्रयागराज।
3. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
4. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन लखनऊ।
5. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0।
6. नोडल अधिकारी, बजट आवंटन चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
7. वित्त अधिकारी, किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ।
8. वित्त ई-3/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(ज्ञानेन्द्र कुमार शुक्ल)
अनुसचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

बी एम-9 (भाग-1)

पुनर्विनियोग के लिए आवेदन/स्वीकृति

(संदर्भ : बजट मैनुअल का प्रस्तर- **158**)

A071-20232024-71-2002-002-7-2023-1

विषय:-वित्तीय वर्ष 2023-24 में के0 जी0 एम 0 यू0 लखनऊ मे पुनर्विनियोग के माध्यम से वेतन मद में धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

निम्नलिखित निधियो से प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान/विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	संक्रमण के पशचात् शेष अनुदान / विनियोग	वितीय वर्ष
031	2210051050325 (डा. राममनोहर लोहिया इन्स्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज, गोमतीनगर, लखनऊ)	31 (सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन))	2,76,82,59,000 रुपये दो अरब छिहत्तर करोड़ बयासी लाख उनसठ हजार मात्र	34,82,59,000 रुपये चौंतीस करोड़ बयासी लाख उनसठ हजार मात्र	-14,00,00,000 रुपये चौदह करोड़ मात्र	2,62,82,59,000	2023-2024
031	2210051050370 (सुपर स्पेशिलिटी बाल चिकित्सालय एवं पोस्ट ग्रेजुएट शैक्षणिक संस्थान, नोयडा की स्थापना)	31 (सहायता अनुदान - सामान्य (वेतन))	47,21,35,000 रुपये सैंतालीस करोड़ इक्कीस लाख पैंतीस हजार मात्र	6,00,00,000 रुपये छह करोड़ मात्र	-6,00,00,000 रुपये छह करोड़ मात्र	41,21,35,000	2023-2024

निम्नलिखित निधियो मे प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	वितीय वर्ष के लिए उपलब्ध / विनियोग	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि	संक्रमण के पशचात् शेष अनुदान / विनियोग	वितीय वर्ष
031	2210051050366 (किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश)	31 (सहायता अनुदान - सामान्य (वेतन))	7,11,65,00,000 रुपये सात अरब ग्यारह करोड़ पैंसठ लाख मात्र	20,00,00,000 रुपये बीस करोड़ मात्र	7,31,65,00,000	2023-2024

कृपया उपरोक्त प्रस्ताव पर निम्नलिखित शर्तो के अधीन प्रशासनिक विभाग को अनुमोदन देना चाहे:-

1-स्तम्भ-3 में उपलब्ध बचत का कारण निम्नानुसार है:-

वित्तीय वर्ष **2023-24** में अनुदान संख्या-**31** के अंतर्गत राजस्व पक्ष में डा0 राम मनोहर लोहिया इंस्टीटयूट ऑफ मेडिकल साइंसेज गोमतीनगर, लखनऊ हेतुं मानक मद-**31**-सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन) में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष रू0 **1400.00** लाख तथा सुपर स्पेशियलिटी बाल चिकित्सालय एवं पोस्ट ग्रेजुएट शैक्षणिक संस्थान, नोएडा में रू0 **600.00** लाख इस प्रकार कुल रू0 **2000.00** लाख की बचत संभावित है।

2- स्तम्भ-**8** में उल्लिखित उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ-**9** में अंकित अधिक व्यय निम्नलिखित कारणों से है:-

वित्त अधिकारी, किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उ0प्र0 लखनऊ ने अपने पत्र दिनांक **01.03.2024** के

माध्यम से अवगत कराया है कि चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ में मानक मद-31-सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन) मद में लंबित देयकों के भुगतान हेतु 2000.00 लाख की अतिरिक्त धनराशि की मांग पुनर्विनियोग के माध्यम की गयी है।

3- प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-150 एवं 151 निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लघंन नहीं होता है।

संख्याः आर ई-< > -2023-24, दिनांक- मार्च, 2024

बजट-1-828 26

सेवा में,

महालेखाकार,
(ए0एण्ड ई)
उ0प्र0 प्रयागराज

27/3/24

(ज्ञानेन्द्र कुमार शुक्ला)
अनु सचिव

Digitally Signed by ज्ञानेन्द्र कुमार शुक्ला
Date: 26-03-2024 13:30:16
Reason: Approved

(सर्वेश कुमार सिंह)
अनु सचिव

26/3/2024 27

संख्या : A071-20232024-71-2002-002-7-2023-1 दिनांक- मार्च, 2024

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ/प्रयागराज।
3. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
4. मुख्य कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट लखनऊ।
5. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0।
6. नोडल अधिकारी, बजट आवंटन चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
7. वित्त अधिकारी, के0जी0एम0यू0, लखनऊ।
8. वित्त ई-3/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(ज्ञानेन्द्र कुमार शुक्ल)
अनु सचिव